

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2015

विषय:- एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस०एच०-31 के किमी० 26.088 की बायीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-984/ एटा-13615/ वूपी-099/2015, दिनांक 03-11-2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस०एच०-31 के किमी० 26.088 की बायीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में यह अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण से बफर जोन के वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बफर जोन से कितनी दूरी पर कोई निर्माण किया जा सकता है। कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्तुति सहित अपनी आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव